

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 शोकी IAR-गुदा-गौड़जी
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 श्रीमान श्री गुदा गौड़जी के आते की जांच की संवत् 2025-78 के खाता 90 में जांच का
 मांगुसक पुमान्द्र पुमान्द्र के नाम पर किया जा रहा है। आवेदन पत्र में उक्त नामों का उल्लेख
 मांगुसक पुमान्द्र पुमान्द्र के नाम पर किया जा रहा है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुं (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गुदा गौड़जी के आते	2025-78	90	मांगुसक पुमान्द्र पुमान्द्र के नाम पर 965	मांगुसक पुमान्द्र पुमान्द्र के नाम पर (अ)

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

269
 16-6-23

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 16/6/23

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 16/6/23